61

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
SIDDHARTHNAGAR.

No-...486...... Date-...26/8/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No-11-09/98-FC(pt) dated 28th October 2014 it is certified that 0.075028 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Indane Oil Corporation Ltd. Gorakhpur Retail Territory (Name of User Agency) for Construction of Retail Outlet on Itwa-Dhevarua (Basti-Dumariyganj-Barhni) Road SH.76 At Km.31 At Villege-Bhelauha, Tehsil-Itwa ,District-Siddharthnagar.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census-2011.

Divisional Director
Social Forestry Division
Siddharthnagar.

District Magistrate
Siddharthnagar.

जिला मजिस्ट्रेट
सिद्धार्थनगर

नोट शीट

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

महोदय,

निवेदन है कि इण्यिन ऑयल कार्पोरेशन, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा जनपद–सिद्धार्थनगर में इटवा–ढेबरूवा (बस्ती–डुमरियागंज–बढ़नी) मार्ग के दायी पटरी पर (SH.76) किमी0 स्टोन नं0–31, ग्राम–भेलौहा के गाटा सं0–401क, 401ख, व 402 में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानो के तहत गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशो के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

महोदय उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि जनपद–सिद्धार्थनगर के आरक्षित वन क्षेत्र एवं संरक्षित वन क्षेत्रो में अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम–2006 के अन्तर्गत आने वाला कोई भी पात्र परिवार नही रहता है, जिससे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जन जाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के लिए प्रभावित नहीं होते हैं। वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर प्रेषित है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर।